न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क.0058 अ/19(3) वर्ष 20–21
ग्राम मड़खेरा जागीर प.ह.नं. 130
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर (सा.)
वन मंडल सागर जिला सागर (म0प्र0) ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 21/01/2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर (सा.) वन मंडल सागर जिला सागर ने पत्र कमांक–मा.चि./06/2020/3303 सागर दिनांक 11.11.2020 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रकरणों में प्रत्यावर्तित भूमि के एवज में वन विभाग को प्राप्त राजस्व भूमि पूर्व से ही वन भूमि होने अथवा भूमि पर अतिकमण होने के कारण गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कर पाना संभव नहीं है। हस्तांतरित गैर वन भूमि के बदले ग्राम मड़खेरा जागीर प.ह. मडखेरा जागीर रा.नि.मं. बिलहरा तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 1332 रकवा 55.00 हे. में से 39.90 हे., ख.नं. 627 रकवा 7.85 हे. में से 3.70 हे. कुल रकवा 43.60 हे. एवं ख.नं. 1328 रकवा 16.70 हे., 1330 रकवा 13.03 हे., ख.नं. 1360 रकवा 24.72 हे. में से 18.27 हे. कुल रकवा 48.00 हे. बीना बहुउद्देशीय परियोजना जलाशय हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी सागर ने जांच प्रतिवेदन हेतु नायब तहसीलदार बिलहरा तहसील जैसीनगर को भेजा गया। नायब तहसीलदार बिलहरा तहसील जैसीनगर ने प्रतिवेदन दिनांक 24.12.2020 एवं अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रतिवेदन दिनांक 05.01.2021 में प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण दर्ज किया जाकर नायब तहसीलदार बिलहरा से मौका स्थल का जांच प्रतिवेदन लिया गया। नायब तहसीलदार बिलहरा द्वारा प्रतिवेदन में लेख किया गया कि प.ह.नं. 130 के ग्राम मड़खेरा जागीर तहसील जैसीनगर में स्थित भूमि वन विभाग को दिये जाने बाबत् निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

क.	योजना का नाम	आवश्यक रकवा	प्रस्तावित खसरा		प्रस्तावित रकवा
			खसरा नं.	कुल रकवा	
1	बीना बहुउद्दशीय परियोजना जलाशय	43.60	1332	55.00	39.90
			627	7.85	3.70
				योग–	43.60
		48.00	1328	16.700	16.700
			1330	13.03	13.03
			1360	24.72	18.27
				योग–	48.00

P.T.O

ग्राम की भौगोलिक जानकारी

1	ग्राम का कुल भौगोलिक कुल क्षेत्रफल	1370.24 हे.
2	ग्राम का मकबूजा क्षेत्रफल	750.52 हे.
3	ग्राम का गैर मकबूजा क्षेत्रफल	619.72 हे.
4	ग्राम में चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल	456.60 हे.
5	2 प्रतिशत के मान से सुरक्षित क्षेत्रफल	15.00 हे.

उपरोक्त सर्वे नं. 1332 में से बिजली की हाईलाईन सीमा से होकर निकलती है। शेष स्थल पर कोई स्थायी निर्माण एवं झाड़ पेड़ नहीं है। उपरोक्त भूमि के दिये जाने में ग्रामवासियों के निस्तार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। प्रकरण नायब तहसीलदार बिलहरा के जांच प्रतिवेदन सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर, दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्र कमांक–2/प्र.क.–51/नजूल/अनापत्ति/न.ग्रा.नि./2020 सागर दिनांक 01.01.2021 द्वारा मौजा मड़खेरा जागीर रा.नि.मं. बिलहरा तहसील जैसीनगर जिला सागर में स्थित भूमि ख.नं. 1332 रकवा 55.00 हे. में से 39.90 हे., खसरा नंबर 627 रकवा 7.85 हे. कुल रकवा 43.60 हे. एवं ख.नं. 1328 रकवा 16.70 हे., खसरा नंबर 1330 रकवा 13.03 हे., खसरा नंबर 1360 रकवा 24.72 हे. में से 18.27 हे. कुल रकवा 48.00 हे. यानि कुल रकवा 91.60 हे. भूमि बीना बहुउद्देशीय परियोजना जलाशय हेतु वन विभाग सागर को आबंटन किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया है। मौजा मडखेरा तहसील जैसीनगर जिला सागर की प्रश्नाधीन भूमि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत स्थित नहीं है। अतः मौजा मडखेरा तहसील जैसीनगर जिला सागर की प्रश्नाधीन भूमि वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वन मंडल सागर को बीना बहुउद्देशीय परियोजना जलाशय हेतु भूमि आबंटन निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जाता है तो कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

1– प्रश्नाधीन स्थल से मुख्य मार्ग को जोडने हेतु 12.00 मीट चौडा पहुंच मार्ग का निर्माण विभाग को स्वयं के करना आवश्यक होगा।

2– सभी संबंधित शासकीय विभागों से नियमानुसार अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3– यह अनापत्ति केवल भण्डार गृह निर्माण हेतु दी जा रही है। अन्य प्रयोजन परिवर्तन एवं उप विभाजन मान्य नहीं होगा।

4– भूमि आवंटन पश्चात् स्थल पर विकास/निर्माण कार्य के पूर्व इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अतः नायब तहसीलदार बिलहरा तहसील जैसीनगर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर की अनुशंसा पर नीचे तालिका में दर्शाई गई शासकीय भूमि :–

कलेक्टर
सागर

P.T.O

क्रं.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा (हे.में)	आवंटित रकवा (हे. में)	मद
01	मड़खेरा जागीर		1332	55.00	39.90	चारागाह शासकीय
			627	7.85	3.70	
				योग–	43.60	
			1328	16.700	16.700	
			1330	13.03	13.03	
			1360	24.72	18.27	
				योग–	48.00	
				कुल योग–	91.60	

का म.प्र. भू. रा.सं. 1959 की धारा 237 (3) (यथा संशोधित 2018) के तहत मद परिवर्तन करते हुए बीना बहुउद्देशीय परियोजना जलाशय के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आयी वन भूमि के बदले में बैकाल्पिक वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि म.प्र.शासन वन विभाग को आवंटित की जाती है। उक्त आवंटन से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आवंटित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क0/664/री0कले0/2021 सागर दिनांक 21/01/2021

प्रतिलिपिः–

1. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर (सा.) वन मंडल सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर की ओर मूल प्रकरण सहित प्रेषित नायब तहसीलदार बिलहरा तहसील जैसीनगर जिला सागर से आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्त कराये जाने तथा संबंधित विभाग को आवंटित भूमि का अधिपत्य दिलाया जाकर पंचनामा सहित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति के साथ प्रकरण इस न्यायालय को शीघ्र वापिस भेजे।
3. परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग, सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार जैसीनगर जिला सागर की ओर आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बिलहरा तहसील जैसीनगर जिला सागर की ओर आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर

मा0 वि0
वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण वन मण्डल, सागर
29/01

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी
क्रमांक 117
दिनांक 10/2/21
दक्षिण सागर वनमण्डल (म.प्र.)

☎: (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फेक्स: 07582-222070, 224543
ई-मेल: dm.sagar@nic.in

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर जिला सागर

क0/2217/री0कले0-1/2021 सागर, दिनांक 15 /09/2021

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सागर, जिला सागर

तत्काल
आवश्यक
समय-सीमा

विषय:- क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आबंटित गैर वनभूमि ग्राम मडखेरा जागीर रकबा 91.60 हे. का वनविभाग को हस्तांतरण बाबत।

संदर्भ:-
1. इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 0058 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2021
2. परियोजना संचालक बीना पी.एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक/1096/बीना पी.एम.यू./बण्डा/2021-22 सागर दिनांक 15.09.2021

--::--

उपरोक्त विषय के संबंध में परियोजना संचालक बीना पी.एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक-2 के माध्यम से अवगत कराया गया कि इस न्यायालय के संदर्भित आदेश क्रमांक-1 के द्वारा निम्नानुसार भूमि :-

क्रं.	ग्राम का नाम	तहसील	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे)	आवंटित रकबा (हे. मे)	मद
01	मड़खेरा जागीर	जैसीनगर	1332	55.00	39.90	चारागाह शासकीय
			627	7.85	3.70	
				योग-	43.60	
		जैसीनगर	1328	16.700	16.70	
			1330	13.03	13.03	
			1360	24.72	18.27	
				योग-	48.00	
				कुल योग-	91.60	

बीना बहुउद्देशीय परियोजना जलाशय के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आयी वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र.शासन वन विभाग को आवंटित की गई है। उक्त आबंटित भूमि का कब्जा वन विभाग को दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्संबंध में तहसीलदार जैसीनगर, वन विभाग के अधिकारियों, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की टीम गठित कर मौके पर भूमि का सीमांकन कराया जाकर वन विभाग को आबंटित भूमि का आधिपत्य दिलाया जाकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन स्थल के फोटोग्राफ सहित 15-दिवस के अंदर इस न्यायालय को अनिवार्य रूप से भेजें।

कलेक्टर
जिला सागर

P.T.O.

(2)

पृ. क्र0/ 241 /री0कले0-1/2021 सागर, दिनांक 15/09/2021

प्रतिलिपि:-

1. वन मंडल अधिकारी दक्षिण वन मंडल सागर(सा.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना संचालक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. परियोजना प्रबंधक, बीना (पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार जैसीनगर जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला सागर

पंचनामा

मड़खेरा जागीर

आज दिनांक 29/10/2021 को ग्राम मड़खेरा जागीर
ग्रा. नि. नं- बिलहरा तहसील जैसीनगर, जिला सागर
में स्थित भूमि सर्वे नं 627, 1328, 1330,
1332, 1360 जो कि वन विभाग को हस्तांतरित
की गयी थी। उक्त भूमि का सीमांकन कलेक्टर
महोदय जिला सागर के पत्र क्र. 9217 के
पालन में राजस्व विभाग, जलसंसाधन विभाग की
कार्यकारी एजेंसी व अधिकारी, और वन विभाग
के कर्मचारी व अधिकारियों की उपस्थित में
कब्जा दिलाया गया, चिन्हांकन कराया गया।
व अस्थायी चिन्ह लगाने के लिये संबंधित विभाग
की कार्यकारी एजेंसी को निर्देशित किया गया।

29/10/21
राजस्व निरीक्षक बिलहरा
प.ह.नं-59

पटवारी
कार्यपालन यंत्री

APM
Binal Mu Sagar

29/10/2021

Vaidya
व.र. नारायणपुर
जगदीश (कोटवार)
सुरखी

नाथू